न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 03/2014

अपीलान्ट :-

1. बिदामी पुत्री रावत
जाति-रेगर, निवासी-केसरपुरा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
हाल-निवासी-रायपुर (जिला-पाली)

बनाम

रेस्पोडेन्ट:-

1. सरपंच ग्राम पंचायत रास,
तहसील-जैतारण(जिला-पाली)

राजस्व म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत रास, नामान्तरकरण संख्या 1562, दिनांक 27.09.1977 को निरस्त कराने बाबत्

ता0रजू: 20/03/2014

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अपीलान्ट।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 14/03/2015

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट इस आशय की प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-केसरपुरा, पटवार हल्का-रास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित अपीलान्ट की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1386 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसके वक्त सेटलमेन्ट के समय अपीलान्ट के पिता काबिज थे एवं पिता रावत के फौत हो जाने के बाद अपीलान्ट के भाई चिमना, छगा, हापूड़ा पिता रावत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ हैं। नकल जमाबन्दी म्यूटेशन इस अपील के साथ पेश किया हैं। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने के बाद रावत के वारिसान केवल मात्र चिमना, छगा, हापूड़ा न होकर के बिदामी, गोगादेवी, साया व जिमना हैं। उक्त वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष रावत के वारिसान हैं। जबकि केवल मात्र चिमना, छगना, हापूड़ा ने पुत्र होने का हवाला देकर के हल्का पटवारी से केवल मात्र अपने नाम से पारित करवाया हैं। जबकि रावत के हक व हिस्से की भूमि में अपीलान्ट का भी हक व अधिकार बतौर पैतृक पुश्तैनी आराजी होने से हक निहित हैं। इस प्रकार से पटवारी हल्का ने वारिसान की जांच नहीं कर यानि बिना जांच किये ही अपीलान्ट के तीनों भाईयों के नाम नामान्तरकरण कर दिया। नकल म्यूटेशन अपील के साथ पेश किया हैं। अपीलान्ट ने दिनांक 30/12/2013 को जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त करने पर अपने नाम का इन्द्राज नहीं होने की जानकारी होने तत्पश्चात् दिनांक 28/01/2014 को नामान्तरकरण संख्या 1562 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर उक्त म्यूटेशन में अपना नाम दर्ज नहीं होने का अंकन देखकर व अपने तीनों भाईयों के नाम ही उक्त भूमि दर्ज होने की जानकारी होने से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश की हैं। अपीलाधीन निर्णय आदेश दिनांक 27/09/1977 के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1562 रेस्पोडेन्ट ने जानबुझकर बिना तथ्यों व वारिसान की जांच किये केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व चिमना, छगना व हापूड़ा के बताये अनुसार म्यूटेशन पारित किया हैं, जो रेस्पोडेन्ट ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया हैं, जो काबिल खारिज के हैं। अपीलान्ट स्वर्गीय रावत के वारिसान हैं। जिसका इस भूमि में पैतृक व पुश्तैनी हक व अधिकार हैं एवं अपने हक व हिस्से की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी हैं। परन्तु गलत म्यूटेशन पारित करने व अपीलान्ट का हक व हिस्सा तमाम केवल मात्र चिमना, छगना व हापूड़ा ने बदनियतीवश प्राप्त करने के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1562 पारित किया गया हैं, जो काबिल खारिज के होने से खारिज

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

फरमावें। अपीलान्ट ने रावत की मृत्यु के बाद अपने हक हिस्से की भूमि की जमाबन्दी व म्यूटेशन नकल दिनांक 28/01/2014 को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर उन्हें जानकारी हुई कि अभी तक उनके पिता रावत के फौत होने के बाद अपीलान्ट का नाम नहीं होकर के केवल मात्र चिमना, छगना व हापूड़ा का नाम इस आराजी में नाम चला आ रहा हैं। जिस पर उन्होंने म्यूटेशन संख्या 1562 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तब उन्हें जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 27/09/1977 को म्यूटेशन केवल मात्र चिमना, छगना व हापूड़ा के नाम पारित कर दिया था। इसलिए दिनांक 27/09/1977 से दिनांक 28/01/2014 की अवधि को कण्डोन कर इस अपील को अन्द म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

इस प्रकार राजस्व अपील मय शपथ-पत्र, धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र तथा दस्तावेजात पेश कर इस पर अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत-रास को बावजूद तामिली / सूचना जरिए सम्मनस वास्ते बार-बार आवार्जे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 28/10/2014 को की गई। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने, रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत रास द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1562 दिनांक 27/09/77 के पारित आदेश को अपास्त किये जाने तथा अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित करने अर्थात् नामान्तरकरण पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकील अपीलान्ट की सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता ने अपीलान्ट अपील स्वीकार किये जाने व उनके नाम नामान्तरकरण पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की अपील में यह विवेचन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 1562 बिना किसी जांच के निर्णित कर दिया, जो प्रभावहीन हैं। अपीलान्ट का हक समाप्त हो जावेगा। अपील के साथ अपीलान्ट ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की दरख्वास्त पेश की। अपीलान्ट को ज्ञात दिनांक 28/01/2014 को हुआ हैं। लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र दिनांक 27/09/77 से दिनांक 18/01/2014 की अवधि को कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। अपीलान्ट के हक को समाप्त देखते हुए अपीलान्ट अपील स्वीकार योग्य हैं, लिहाजा स्वीकार किया जाना, नामान्तरकरण 1562 दिनांक 27/09/1977 को निरस्त किया जाना तथा इस निर्देश के साथ कि वास्तविक तथ्यों की जांच करके विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती हैं। नामान्तरकरण संख्या 1562 दिनांक 27/09/1977 को निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती हैं कि वास्तविक तथ्यों की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2014 को मेगा लोक अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner